


तारीख
हुयम

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

का कोई कानून नहीं है। निपटरी संख्या - 2 के पत्र में रामपत्र गुमास्ती के अंतर्गत की शरतीय क्रिया है। साथ में यह भी कथन किया कि जबतक सक्षम सिविल जजालय से रामपत्र की शरतीय-कथना जमा तब तक प्राथम पत्र चलने योग्य नहीं है। प्राथमिकता को मॉके पर कोई कब्जा नहीं हुआ शरतीय रोगालीन की फसल होने निपटरी में अंकित किया होने पर भी और से रामपत्र प्रस्तुत हुए पत्रावली को बहरा में नियत की अंकित हुयम पत्र की बहरा को सुना गया। तबही प्राथमिकता ने अपने खलीना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए शरतीय निवेदाता जारी रखना विवेक किया गया तथा निपटरी के अतिरिक्त जमानत में अंकित कथनों को दोहराते हुए प्राथमिकता की शरतीय क्रिया जमाने से विवेक किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्र में यह तथ्य निवेदाता के अपने सामने आया कि शरतीय जमानत रमजूर के खते दर्ज थी जो जमानत स्वीकृत, जाकिर निपटरी एवं बबली, मांगी साबुदीन व पीरमोहम्मद को प्राप्त हुई। दौरान बहरा प्राथमिकता की शरतीय से प्रस्तुत शपथ पत्र में मॉके पर कब्जा है अंकित नहीं है, बहरा के शरतीय से क्रिसके द्वारा काशर की जा रही है अंकित नहीं किया गया है। निपटरी की शरतीय से प्रस्तुत शपथ पत्र में मॉके पर निपटरी की शरतीय काशर किया जाना तथा मॉके पर निपटरी की फसल खड़ी होना स्पष्ट होता है। दौरान बहरा प्राथमिकता की शरतीय से कोई ग्रायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया निपटरी की शरतीय से ग्रायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया गया कि मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति की शरतीय अथवा का कोई प्रावधान नहीं है, साथ ही पिरा के जीवनकाल में पुत्र पुत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं। मुस्लिम विधि का भी अवलोकन किया जिसमें भी कोई प्रावधान पैतृक सम्पत्ति में विरासती छु को लेकर अंकित किया हुआ नहीं है।



हुयम
जिला-चित्तौड़गढ़

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुयम की तारीख में
जारी हुए

FORM No. III
फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

नम्बर व तारीख, हुयम - 9413401527

उपस्थित अधिकारी हुयम
जिला-चित्तौड़गढ़
नाम अहकाम
दिनांक हुयम
हुयम

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुयम की तारीख में
जारी हुए

इस प्रकार से प्राथमिकता का प्रथम दृष्टान्त प्रकरण साबित नहीं होता है। प्रथम दृष्टान्त प्रकरण नहीं होने से प्राथमिकता को अस्तुविधा देना, शरतीय प्रस्ताव लेना मकर नहीं होता है शरतीय कथन प्राथमिकता का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत चारा 22 शरतीय एक शरतीय निवेदाता के शरतीय का शरतीय कर शरतीय क्रिया जाता है। शरतीय खुले न्यायालय में विश्वास जाकर खुलासा गया। पत्रावली के सलत सुमार होकर शरतीय से कम है

उपस्थित अधिकारी
हुयम
जिला-चित्तौड़गढ़

